

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन का सार्वजनिक नीलाम जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट प्रांगण में दिनांक 28-3-2020 को समय अपरान्हन 3 बजे अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख किया जायेगा। नीलामी सम्बन्धी शर्त प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर स्थित नाजिर सदर के कार्यालय में देखी जा सकती है। नीलाम होने वाला वाहन का विवरण निम्नवत है।

1- तहसीलदार सदर का वाहन जीप संख्या यू0पी0-22-जी0-0026 वर्ष 2006 (चालू हालत में है)

नीलाम की मुख्य शर्तें व नियम

- 1- चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र 5 लाख रुपये का, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा दो वर्ष के लिये जारी किया गया हो।
- 2- नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले बोलीदाता को नीलामी से पूर्व 25,000/-रु0 (पच्चीस हजार रुपये) की धनराशि धरोहर के रूप में एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत के पक्ष में जमा करानी होगी।
- 3- नीलामी समिति को अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बतायें बोली अस्वीकार कर दें। बोली सम्पन्न होने के बाद सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी की आधी धनराशि उसी समय जमा करनी होगी, यदि वह उसी समय आधी धनराशि जमा नहीं कर पाया तो उसकी बोली निरस्त करते हुये जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 4- अन्य शर्त नीलामी से पूर्व बतायी जायेगी तथा सफल ठेकेदार को नियमानुसार देय टेक्सों का भुगतान करना होगा।
- 5- किसी भी बोली को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदय रामपुर का होगा।

दिनांक 12/3/2020

नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी
नजारत रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर।

संख्या 247/नाजिर सदर

दिनांक मार्च 12, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0शासन लखनऊ।
- 2-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/वि0एवंरा0/ आर0टी0ओ0/ ए0आर0टी0ओ0/वरिष्ठ कोषाधिकारी रामपुर।
- 3-जिलाधिकारी मुरादाबाद/बिजनौर/ज्योतिबा फूलेनगर/सम्भल।
- 4-पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद/बिजनौर/ज्योतिबा फूलेनगर/सम्भल।
- 5-समस्त उप जिलाधिकारी जनपद रामपुर।
- 6-सीनियर फोरमैन, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम रामपुर।
- 7-अधिशारी अभियन्ता नगरपालिका परिषद रामपुर/स्वार/मिलक/बिलासपुर/टाण्डा एवं शाहवादा।
- 8-अध्यक्ष जिला परिषद रामपुर।
- 9-अधिशारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड रामपुर/ निर्माण खण्ड रामपुर।
- 10-मुख्य विकास अधिकारी रामपुर।
- 11-मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर।
- 12- जिला सूचना अधिकारी रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह हिन्दी/ऊर्दु के एक-एक दैनिक समाचार पत्रों में एक दिन इसका प्रकाशन करायें तथा प्रकाशन की प्रति नियत तिथि से पूर्व भेजें एवं बिल सत्यापन करके भेजने का कष्ट करें।
- 13- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 को वैवसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 14- ओ0एस0डी0 जिलाधिकारी रामपुर।
- 15- नाजिर सदर जिला जजी कार्यालय रामपुर/नाजिर सदर कलेक्ट्रेट रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।

नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी
नजारत रामपुर।